मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
म. प्र. मंत्रालय

क्रमांक सी-6-8/99/3/1, भोपाल, दिनांक 30 जून 1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश.

विषय :—आपराधिक प्रकरण/विभागीय जांच लंबित होने की स्थिति में शासकीय सेवक की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत करने बाबत्.

राज्य सरकार के समक्ष यह प्रश्न विचारणीय रहा है कि यदि किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण/विभागीय जांच लंबित है और वह म. प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम, 42 के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करता है तो उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत करनी चाहिए अथवा नहीं.

2. उपरोक्त विषय में विधि विभाग ने यह परामर्श दिया है कि यदि संबंधित शासकीय सेवक को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति नहीं दी जाती है तो वह शासकीय सेवा में रहेगा और उसे पूर्ण वेतन अथवा निलम्बन की दशा में निलम्बन भत्ता दिया जाना होगा. यदि दोषमुक्त हो जाता है तो उसे निलम्बन अवधि के लाभ भी देने पड़ सकते हैं अनिच्छा से शासकीय सेवा करने वाला व्यक्ति अपना कर्त्तव्य भी पूर्ण निष्ठा तथा उत्तरदायित्व से नहीं करता. दूसरी ओर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार कर ली जाने पर उसे अनन्तिम पेंशन देय होगी. यह पेंशन आपराधिक प्रकरण/विभागीय जांच में दोषसिद्धि होने पर रोकी जा सकेगी. पेंशन रोकने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि शासन को शासकीय सेवक के आरोपित कृत्य से धनहानि ही हो. यूनियन आफ इण्डिया बी-देव, 1988, एस. सी. डब्ल्यू. 2758 की व्यवस्था है कि शासकीय सेवक का कदाचरण यदि गंभीर प्रकृति का है तो उसकी पेंशन रोकने की कार्यवाही की जा सकती है. इस स्थिति में यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार की जाती है तो यह अनुचित नहीं होगा इसमें कोई विधिक बाधा भी नहीं होगी. दण्डित किये जाने पर देय "मंत्रि-परिषद्" के आदेश प्राप्त कर रोकी जा सकेगी. प्रकरण लंबित रहने की अवधि में पेंशन नियमों के नियम 9 (4) के प्रथम परन्तुक के प्रावधानों पर केवल अनन्तिम पेंशन निर्धारित की जा सकेगी.

3. अतः राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि भविष्य में किसी ऐसे शासकीय सेवक द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार करने का आवेदन-पत्र दिया जाता है, जिसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण अथवा विभागीय जांच संस्थित हो, तो ऐसे प्रकरणों में विधि विभाग के उक्त परामर्श के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जावे.

हस्ता./-

(एम. के. वर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.